मध्य प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

o/c Incentives
नस्ती R

क्रमांक 3349 /2020/तेरह भोपाल,दिनांक 2 JUN 2020

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
   एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक,
   म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
   जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

AS (VK)

विषयः-कोरोना वायरस जनित महामारी (Covid19) से बचाव हेतु लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्युत उपभोक्ताओं को दिये जाने वाली विशेष राहतों संबंधी निर्देश।

संदर्भः-विभाग का पत्र क्रमांक 2833/2020/तेरह भोपाल,दिनांक 7.4.2020

:-:

उपरोक्त संदर्भित विभागीय पत्र दिनांक 7.4.2020 के तारतम्य में निर्देशित किया जाता है कि –

LT Commercial LT Industrial HT HV3

(i) प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू एवं निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्चदाब टैरिफ एचव्ही 3 उपभोक्ताओं के माह अप्रैल के साथ ही मई एवं जून, 2020 के विद्युत देयकों में स्थायी प्रभार की वसूली को आस्थगित किया जाये। इस प्रकार आस्थगित राशि की वसूली माह अक्टूबर, 2020 से मार्च, 2021 के विद्युत देयकों के नियमित भुगतान के साथ छःसमान किश्तों में बिना ब्याज के की जाये।

(ii) प्रदेश के सभी (उच्चदाब सहित) उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल एवं मई माह में देय विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक करने पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (निम्नदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये दस हजार मात्र तथा उच्चदाब उपभोक्ताओं को अधिकतम रूपये एक लाख मात्र) आगामी बिल में दी जाये एवं यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाये।

(iii) प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही है एवं जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में मात्र 50 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाए।

(iv) प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ता जिनके माह अप्रैल, 2020 में देयक की राशि 100 रूपये तक थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 100 रूपये से 400 रूपये तक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में मात्र 100 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान लिया जाए।

(v) प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी माह अप्रैल, 2020 में देयक राशि रू. 100 से अधिक परन्तु रू. 400 या उससे कम थी, उनके आगामी तीन माह अर्थात् मई, जून एवं जुलाई, 2020 में देयक राशि 400 रूपये से अधिक आने पर उनसे उपरोक्त तीन माहों में देयक की राशि का मात्र 50 प्रतिशत भुगतान लिया जाए। ऐसे उपभोक्ताओं के देयकों की शेष 50 प्रतिशत राशि के भुगतान के संबंध में देयकों की जांच के बाद निर्णय लिया जायेगा।

2/ उपरोक्त निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की जानकारी प्रस्तुत की जाये ।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग

पृ0 क्रमांक /2020/तेरह भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन,ऊर्जा विभाग